मूली देवी v/s मामराज वगै०

तारीख हुक्म	मु० किस्म- 9 R13 CR हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० न० : 43/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-12-20	पत्रावली पेश हुई वकुलाय उभय पक्ष उप.। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 18-12-20 को पेश हो। Vimm	
18-12-20	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय। आदेश दि. 24-12-2020 को पेश हो। (R)	
24.12.20	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अवगत कराया कि ग्राम देवीपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 165, 166, 184 कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्टर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 154, 155, 175, 176, 177, 178, 179 कुल किता 7 कुल रकबा 2.98 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिसकी प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्तकार है। जो प्रार्थीया को विरासतन पिता से माता का देहान्त होने पर इकलौती संतान होने के कारण विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमियाँ बाबत वादी/अप्राथी नं. 1 मामराज व प्रतिवादी नं. 2/अप्रार्थी नं. 2 रामकरण ने आपराधिक साजिश एंव षड्यंत्र करके प्रार्थीया एंव उसकी माता मूली देवी की बेशकीमती जमीन को हड़पने के प्रयोजन मात्र से बाला-बाला एक वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व तकास्मा का उनवानी मामराज बनाम रामकरण वगै0 मुकदमा नम्बर 119/2007 (बी.टी. नम्बर 698/2017) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में पेश किया गया था जो बाद में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर ... पर वादी मामराज द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 रामकरण इनकी गलत तामील बता... साजकर बिना तामील प्रकिया को अनुसरण ...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:30:08 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (

उनवान मालीदेवी बनाम बनाम् मामराज वगै0 सन्

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी

मु0 नं. 43/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मुकदमें में एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर बाद एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2018 को गलत रूप से वादपत्र डिक्री करवा लिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का पेश कर उक्त डिक्री प्राप्त कर ली जिसका प्रार्थीया को कभी कोई जानकारी नहीं हुई। प्रार्थीया के पास कभी भी कोई तामील कुनिन्दा तामील लेकर नहीं गया है। सभी सम्मनों की पुश्त पर उक्त तामीलों को प्रतिवादी नम्बर 1 ने साजिशपूर्वक प्राप्त की है ताकि प्रार्थीया व उसकी मृत्तक माता को इस मुकदमें की कोई जानकारी नहीं हो सके। वादी/अप्रार्थी सं. 1 मामराज व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 रामकरण ने तामील कुनिन्दा से साजिश करके प्रार्थीया व उसकी माता की तामील प्रतिवादी नम्बर 1 रामकरण ने प्राप्त कर उन पर अगूंठा निशानी कराकर अपने परिचित व्यक्ति के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवाये है ताकि अन्य किसी को उक्त मुकदमें की जानकारी नहीं हो सके। ये सभी सम्मन एक ही जगह बैठकर भरे गये हैं ना कि मौके पर जाकर ताकि किसी दीगर व्यक्ति को उक्त मुकदमें की जानकारी नहीं हो सके। प्रार्थीया ने जब गांव में डिक्री होने की चर्चाऐं सुनी तो प्रार्थीया ने न्यायालय में दिनांक 21.8.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली की लेने हेतु विधिवत आवेदन किये जाने पर दिनांक 26.8.2019 को नकलें प्राप्त होने पर प्रार्थीया के विरूद्ध की गई तामील कुनिन्दा की उक्त फर्जीयात के आधार पर की गई एकपक्षीय कार्यवाही व उस पर पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम हुई। जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:30:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	माली देवी बनाम मामराज वगै.	

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मु.नं.-43/2019

के पेश कर वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व तकास्मा का उनवानी मामराज बनाम् रामकरण वगै0 मुकदमा नम्बर 119/2007 (बी.टी. नम्बर 698/2017) न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2018 को अपास्त की जाकर राजस्व रिकार्ड को दावा दायरी के वक्त का बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जाकर प्रार्थीया को मुकदमा में जवाब देही एंव सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में किया है।

वही वकील अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमियॉ ग्राम देवीपुरा में स्थित होकर प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 एक ही परिवार के है जिसमें चन्द्रा के तीन पुत्र संतान सुन्दर, हरदेव, सुवा हुये। जिसमें सुन्दर का वारिस अप्रार्थी नम्बर 1 मामराज है एंव सुवा के कोई पुत्र संतान नहीं थी केवल एक मात्र पुत्री संतान प्रार्थीया माली देवी है। प्रार्थीया की माता मूलीदेवी ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 की सेवा से प्रसन्न होकर अपने नाम की समस्त भूमियों की वसीयत दिनांक 19.8.1995 को पांच रूपये के स्टाम्प पर लिखाकर नोटेरी पब्लिक से विधिवत रूपेण तस्दीक करवाई गई है जिस पर प्रार्थीया की भी अंगूठा निशानी है। जिससे प्रार्थीया पूर्णतया एस्टोप्ड है। प्रार्थीया की माता मूली देवी का देहान्त होने से उक्तांकित वसीयत अनुसार अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के मालिक एंव स्वामी हो चुके है। प्रार्थीया एंव इसकी मृत्तक माता मूली देवी के नाम से अन्य जमीन ग्राम देवीपुरा में स्थित है जिसकी सार सम्भाल व देखरेख करने के लिए प्रार्थीया ग्राम देवीपुरा में आती-जाती रहती है। जिसके कारण प्रार्थीया को उक्त वादपत्र की जानकारी शुरू से ही होना प्रमाणित होता है। तामील कुनिन्दा द्वारा प्रार्थी... सम्मन सही पत्ते पर ले जाकर सही रूप से तामील...

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:30:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	माली देवी बनाम मामराज वगै.

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी [illegible]-48/2019

करवायी गई थी। अप्रार्थी/वादी ने ही प्रार्थीया/प्रतिवादी के भात–पेचं का सम्पूर्ण खर्च व सुवा का खर्च रामकरण मामराज के द्वारा ही वहन किये गये है। प्रार्थीया व उसकी माता ने तथाकथित लिखा पढ़ी दिनांक 19.08.1995 से सहमति व्यक्त करते हुए वादी मामराज व प्रतिवादी रामकरण के जमीन नाम कराने से इन्कार करते हुए रजिस्ट्री कराने से इन्कार हो गये तथा कोर्ट से आदेश कराने बाबत अवगत कराये जाने पर वादी मामराज द्वारा न्यायालय में वादपत्र पेश कर न्यायालय आदेश से डिक्री प्राप्त की है। अतः वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, नोटिस प्रतिवादीगण व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया।

दीवानी प्रकिया संहिता– 1908 के आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि **एक पक्षीय डिकियों को अपास्त करना–** किसी ऐसे मामलें में जिसमें डिकी किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिकी पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था।

उनवानी प्रकरण मामराज बनाम् रामकरण वगै0 मुकदमा नम्बर 119/2007 (बी.टी. नम्बर 698/2017) न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर द्वारा जारी सम्मनों की [illegible] का गहनता से अवलोकन किया गया। [illegible] स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी सम्मन [illegible] की प्राप्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:30:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	माली देवी बनाम मामराज वगै. प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एम.न. 43/2019	

पर एक ही व्यक्ति रामकरण के हस्ताक्षर है। जो वादपत्र में पक्षकार प्रतिवादी नम्बर 1 है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण के समस्त नोटिस एक ही व्यक्ति रामकरण द्वारा लिये गये है। नोटिस लेने वाले व्यक्ति ने अपना कोई पूर्ण पत्ता इत्यादि अंकित नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त व्यक्ति का प्रार्थीया/प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 से उस व्यक्ति का क्या सम्बन्ध है। एक ही व्यक्ति के सभी सम्मन नोटिस प्राप्त कर लेने से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तक सम्मन/नोटिस पहुँचे ही नहीं जिससे प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं होना स्पष्टतः प्रकट होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा एक साथ ही समस्त सम्मन प्राप्त कर वादी के साथ–साथ प्रतिवादी नम्बर 1 ने भी प्रार्थीया/प्रतिवादी नं. 2 व 3 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से का आधा अर्थात् 1/4 हिस्से का वादी व 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाकर खातेदार काश्तकार घोषित करवाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वकील प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा व तकास्मा उनवानी प्रकरण मामराज बनाम् रामकरण वगै0, मुकदमा नम्बर 119/2007 (बी.टी. नम्बर 698/2017) न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थीया/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता है। उक्त उनवानी प्रकरण मामराज बनाम् रामकरण वगै0 मुकदमा नम्बर 119/2007 (बी.टी. नम्बर 698/2017) को पुनः नम्बर पर लिया जावे। पक्षकारान् को सुनवाई हेतु दिनांक 27.01.2020 नियत की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21.12.20
(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:30:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज माली देवी बनाम भागचंद वगै.
	प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 सीपीसी दा.नं.- 93/2019

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.12.20

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुनःश्च निर्णय लेखबद्ध एवं सुनाये जाने उपरान्त अप्रार्थी नं. 2 के वकील श्री जे.पी. गौड़ ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 18.12.2020 नियत थी जिसके पश्चात प्रार्थी को तारीख की जानकारी नहीं हो सकी एवं प्रार्थी/अप्रार्थी नं. 2 की गैर मौजूदगी में बिना जानकारी में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में बहस सुनकर पत्रावली वास्ते आदेश 24/12/20 नियत कर दी गयी अतः प्रकरण में प्रार्थी महत्वपूर्ण पक्षकार है जिसे बिना सुने आदेश पारित करने से प्रार्थी को काफी हक तलफी होगी अतः प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 02 की बहस सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी को शामिल पत्रावली कर अवलोकन मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी को पूर्व में पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है तथा निर्णय लेखबद्ध एवं सुनाये जाने उपरान्त इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.29 12:30:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)